

शक्तिपृथक्करण का सिद्धांत

प्रलिस के लिये:

शक्तिपृथक्करण का सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, NJAC अधिनियम

मेन्स के लिये:

शक्ति और मुद्दों के पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के उपराष्ट्रपति](#) ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक [1973 के केशवानंद भारती मामले](#) का हवाला देते हुए [शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत](#) पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं।

शक्तिपृथक्करण का सिद्धांत:

- शक्तियों का पृथक्करण **सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का विभाजन** है।
 - अनुच्छेद 50 के अनुसार, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिये कदम उठाएंगे।
- संवैधानिक सीमांकन से सरकार की किसी भी एक शाखा में शक्तियों के एकीकरण को रोका जा सकता है।
- **भारतीय संविधान** संरचना निर्धारित करता है, राज्य के प्रत्येक अंग की भूमिका तथा कार्यों को परिभाषित एवं निर्धारित करता है, उनके अंतरसंबंधों तथा [नियंत्रण और संतुलन](#) के लिये मानदंड स्थापित करता है।

नियंत्रण एवं संतुलन का साधन:

- **विधायिका का नियंत्रण:**
 - **न्यायपालिका के संदर्भ में:** न्यायाधीशों पर महाभियोग और उन्हें हटाने की शक्ति तथा न्यायालय के 'अधिकार से परे' या अल्ट्रा वायर्स घोषित कानूनों में संशोधन करने तथा इसे पुनः मान्य बनाने की शक्ति।
 - **कार्यपालिका के संदर्भ में:** विधायिका निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक अविश्वास मत पारित कर सरकार को भंग कर सकती है। विधायिका को [प्रश्नकाल और शुन्यकाल](#) के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का आकलन करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- **कार्यपालिका का नियंत्रण:**
 - **न्यायपालिका के संदर्भ में:** **मुख्य न्यायाधीश** और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
 - **विधायिका के संदर्भ में:** [प्रत्यायोजित कानून](#) के तहत प्राप्त शक्तियाँ। संविधान के प्रावधानों के तहत संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक नियम बनाने का अधिकार।
- **न्यायिक नियंत्रण:**
 - **कार्यपालिका पर:** [न्यायिक समीक्षा](#) यानी संविधान के उल्लंघन की स्थिति में कार्यकारी गतिविधियों की जाँच करने का अधिकार।
 - **विधायिका पर:** केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित **मूल संरचना सिद्धांत** के तहत संविधान की असंशोधनीयता।

शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित समस्याएँ:

- **कमज़ोर विपक्ष:** नियंत्रण और संतुलन लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। ये लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी व्यवस्था में बदलने से रोकते हैं।
 - संसदीय प्रणाली में **ये नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत विपक्षी दल द्वारा प्रदान किये जाते हैं।**
 - हालाँकि लोकसभा में **एक दल के बहुमत ने संसद में एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका को कम कर दिया है।**
- **न्यायपालिका की नियंत्रण और संतुलन के प्रति विमुखता:** राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना [99वें संवैधानिक संशोधन](#) द्वारा

की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारातीत करार दिया था।

- **NJAC अनुचित राजनीतिकरण से व्यवस्था की स्वतंत्रता की गारंटी दे सकता है, नयुक्तियों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, चयन प्रक्रिया की नष्पक्षता को बढ़ा सकता है, न्यायपालिका की संरचना में वविधिता को बढ़ावा दे सकता है और व्यवस्था में जनता के वशिवास का पुनर्नरिमाण कर सकता है।**
- **न्यायकि सक्रयिता:** हालयि कई नरिणयों में को देखें तो कानून और नयिम से संबंघति नरिणय लेने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय अतिसक्रयि हो गया है। यह वधायकि एवं कार्यपालकि के क्षेत्र का उल्लंघन है।
- **कार्यपालकि:** भारत में कार्यपालकि पर सत्ता के अतिकेंद्रीकरण, सार्वजनकि संस्थानों को कमज़ोर करने, कानून, व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा में सुधार के लयि कानून पारति करने के साथ-साथ अभवियक्ति की स्वतंत्रता को प्रतबिंधति करने की आलोचना की जाती है।

संवधान की मूल संरचना:



मूल संरचना का सिद्धांत

Doctrine of Basic Structure

■ मूलविचार —

- ◆ जर्मनी का संविधान।

■ ऐतिहासिक निर्णय

- ◆ केशवानंद भारती मामला, 1973 ('संविधान की मूल संरचना' वाक्यांश का पहली बार प्रयोग किया गया था)।

■ मूल संरचना के तत्त्व

- ◆ संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ ...

■ महत्त्व

- संविधान के केंद्रीय आदर्शों को कमजोर करने के लिये एक बहुसंख्यक सरकार की शक्ति को सीमित करता है।

■ आलोचना

- "मूल संरचना" का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है।
- मूल संरचना के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक शक्ति ग्रहण कर ली है।

क्रमिक विकास

शंकर प्रसाद मामला (1951) और सज्जन सिंह मामला (1965)	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है।
गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967	संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल एक संविधान सभा के पास है; 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 पेश किया गया।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973	संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढाँचे या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती है।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975	आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि हुई और 39वें संशोधन अधिनियम (1975) के प्रावधान (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखते हुए) को अमान्य कर दिया गया।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980	मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच न्यायिक पुनर्विलोकन और सामंजस्य को बुनियादी ढाँचे में जोड़ा गया।
वामन राव बनाम भारत संघ, 1981 मामला	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तारीख के बाद लागू किये गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, 1992	विधि के शासन को बुनियादी ढाँचे का एक हिस्सा घोषित किया गया।
एस.आर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994	संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सामाजिक न्याय को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में दोहराया गया।



//

आगे की राह

- भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है और इसमें बदलाव के समय समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिये।
- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वीकार किया कि ज्ञान पर किसी पीढ़ी का एकाधिकार नहीं है और कोई भी पीढ़ी यह तय नहीं कर सकती है कि आने वाली पीढ़ियों हेतु सरकार कैसी होनी चाहिये।
 - हालाँकि संशोधन की शक्ति का वविकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये।

??????????:

परश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2020)

1. भारत का संवधिन संघवाद, धर्मनरिपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी 'मूल संरचना' को परभिषति करता है।
2. भारत का संवधिन नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को संरक्षति करने हेतु 'न्यायकि समीक्षा' प्रदान करता है जसि पर संवधिन आधारति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- भारत का संवधिन मूल संरचना को परभिषति नहीं करता है, यह एक न्यायकि नवाचार है।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद संवधिन के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जब तक कि यह संवधिन की मूल संरचना या महत्त्वपूर्ण वशिषताओं को नहीं बदलता या संशोधति नहीं करता है।
- हालीक अदालत ने 'बुनयादी संरचना' शब्द को परभिषति नहीं किया और केवल कुछ सदिधांतों- संघवाद, धर्मनरिपेक्षता, लोकतंत्र को इसके हसिसे के रूप में सूचीबद्ध किया।
- तब से 'मूल संरचना' सदिधांत की व्याख्या संवधिन की सर्वोच्चता, कानून के शासन, न्यायपालकि की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण के सदिधांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनावों का सदिधांत, कल्याणकारी राज्य आदिको शामिल करने के लयि की गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- संवधिन में ऐसा कोई प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो न्यायालयों को कानूनों को अमान्य करने का अधिकार देता हो, लेकनि संवधिन ने प्रत्येक भाग पर नशिचति सीमाएँ लगाई हैं, जसिके उल्लंघन से कानून शून्य हो जाएगा। न्यायालय को यह तय करने का काम सौपा गया है कि कसि भी संवधनकि सीमा का उल्लंघन किया गया है या नहीं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

अतः वकिल्प (d) सही है।

परश्न. 'आधारकि संरचना' के सदिधांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालकि ने यह सुनिश्चति करने के लयि कि भारत एक उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में वकिसति हो, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोएक्टवि) भूमकि नभिाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लयि हाल के समय में 'न्यायकि सक्रयितावाद' द्वारा नभिाई भूमकि का मूल्यांकन कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2014)

परश्न. अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सदिधांत की भावना के उल्लंघन पर चति जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के त्रकाधार को नोट करते हुए वशि्लेषण कीजयि कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के वनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का नरिसन कर दिया जाना चाहयि? (मुख्य परीक्षा, 2015)

परश्न. क्या आपके वचिर में भारत का संवधिन शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सदिधांत को स्वीकार नहीं करता है बल्कि यह "नयितरण और संतुलन" के सदिधांत पर आधारति है? व्याख्या कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2019)

परश्न. न्यायकि वधिन, भारतीय संवधिन में परकिल्पति शक्तियों के पृथक्करण के सदिधांत का प्रतपिक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारणों को दशिा-नरिदेश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोक हति याचकिाओं का न्याय औचित्य सदिध कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2020)

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

